

## जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया द्वारा प्रखंड लेखापाल के चयन से संबंधित कार्यवाही

बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 74 (2) दिनांक 25.01.17 द्वारा दिए निर्देश के आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया द्वारा निकाले गए विज्ञापन संख्या PR 1023 (निनि) 17-18 दिनांक 03.05.17 के आधार पर प्रखंड लेखापाल के तीन रिक्त पद जिसमें आरक्षण रोस्टर के अनुसार EBC (F)-1 पद, UR (F)- 1 पद तथा SC (F) -1 पद के अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इसके लिए कुल (आठ) 8 आवेदन प्राप्त हुए जबकि अनुसूचित जाति (F) का एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 08.09.17 को चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार प्रखंड लेखापाल हेतु Counselling की तिथि 20.09.17 निर्धारित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया गया।

दिनांक 20.09.17 को सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया के प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी द्वारा नामित सात सदस्यीय चयन समिति सदस्य यथा अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया, स्थापना उपसमाहर्ता, खगड़िया, जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया, सिविल सर्जन खगड़िया, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया, डॉ० देवन्दन पासवान, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, खगड़िया, तथा डॉ० ज्योत्सना कुमारी सिन्हा, महिला चिकित्सक, सदर अस्पताल खगड़िया के समक्ष बारी-बारी से उपस्थित योग्य उम्मीदवारों ने Counselling में भाग लिया।

इस क्रम में कुल सात (7) योग्य उम्मीदवार उपस्थित हुए जिनकी Counselling की गई। इस दौरान क्रमांक 7 पर पुरुष उम्मीदवार धनंजय कुमार सिंह की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई क्योंकि आरक्षण रोस्टर के तहत पुरुष उम्मीदवारों के लिए पद की रिक्ति नहीं है। उपस्थित योग्य उम्मीदवारों के मूल शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण-पत्रों का उनके आवेदन में संलग्न प्रमाण-पत्रों से चयन समिति द्वारा मिलान किया गया। Counselling के क्रम में दो उम्मीदवारों द्वारा वांछित कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति जमा किया गया। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों द्वारा वांछित कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति जमा करने के लिए समय देने हेतु किए गए अनुरोध पर चयन समिति द्वारा वांछित कागजात एवं आपत्ति दाखिल करने के लिए दस (10) दिनों का समय दिया गया तथा वांछित कागजात व आपत्ति सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया के समक्ष समर्पित करने का एक समान अवसर सभी अभ्यर्थियों को दिया गया।

चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रखंड लेखापाल के पद पर अनुबंध आधारित नियुक्ति हेतु मेधा सूची तैयार करने के लिए अंकों के निर्धारण हेतु शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम सत्तर (70) अंक तथा अनुभव के लिए अधिकतम तीस (30) अंक के अनुरूप मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया, जिसकी विस्तृत तालिका निम्नवत् निर्धारित की गई।

### अंकों का निर्धारण

क्र० सं०	शैक्षणिक स्तर	1st division/1st Class	2nd division	3rd division
1	Matriculation	15 Marks	10 Marks	8 Marks
2	Intermediate	20 Marks	15 Marks	12 Marks
3	Graduation	35 Marks	30 Marks	25 Marks

अनुभव हेतु- 3 वर्ष के न्यूनतम अनुभव हेतु 25 अंक

3 वर्ष से अधिक के अनुभव हेतु 30 अंक

इसके पश्चात् कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के पत्रांक 3792 दिनांक 11.10.17 के आलोक में जिलाधिकारी खगड़िया द्वारा प्रखंड लेखापाल पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित आरक्षण रोस्टर रजिस्टर संपुष्टि हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया के पत्रांक 859 दिनांक 14.10.17 द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को भेजा गया, तत्पश्चात् राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक 5082 दिनांक 12.12.17 द्वारा प्रखंड लेखापाल के आरक्षण रोस्टर को उसके अनुमोदित स्वरूप में संपुष्टि किया है।

आपत्ति निकारण के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वांछित कागजात का विश्लेषण किया गया। जिसमें निम्न तथ्य सामने आए :-

1. अभ्यर्थी शिखा कुमारी द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण-पत्र के अनुसार उन्होंने DEEN KALYAN नामक संस्था जो चौक बजार मछड़हट्टा बाढ़ (पटना) में अवस्थित है में लेखापाल के तौर पर 21.11.2011 से 31.03.2017 तक कार्य किया है जबकि यह अवधि अभ्यर्थी के इंटरमीडिएट से लेकर स्नातक तक की नियमित शैक्षणिक अवधि से आच्छादित है। ऐसे में एक ही अवधि में नियमित शैक्षणिक कार्य तथा अन्यत्र संस्थान में लेखापाल का कार्य कर पाना अव्यवहारिक तथा अतार्किक प्रतीत होता है। गौरतलब है कि

बुद्ध

अभ्यर्थी का नियमित शैक्षणिक स्थल गया शहर है तथा अनुभव प्रमाण पत्र अनुसार कार्य स्थल बाढ़ (पटना) है जिसमें करीब 125 किलोमीटर की दूरी है।

ऐसी स्थिति में समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया गया, फलस्वरूप अभ्यर्थी के दावेदारी को अमान्य कर दिया गया।

2. अभ्यर्थी रिकु कुमारी द्वारा Neelam Protection Guarding Pvt Ltd, Security and Intelligence का अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उन्होने अनुभव प्रमाण पत्र के तौर पर अभ्यर्थी द्वारा लेखापाल के रूप में कार्य किए जाने की अवधि अगस्त, 2012 से जनवरी, 2016 दर्शायी है।

वेबसाइट पर अपलोड प्रोफाइल अनुसार उक्त संस्थान दिनांक 23.11.2013 से अस्तित्व में आया है जिसकी सभी शाखा दिल्ली में ही कारररत है, जबकि अभ्यर्थी S.B.S.S. College Begusarai से वर्ष 2013 में स्नातक उत्तीर्ण की है। ऐसे में एक ही समय में यह संभव नहीं दिखता कि Begusarai जिले में नियमित शिक्षा प्राप्त करते हुए दिल्ली में Accountant के पद पर कार्य किया जाए। अतः इसके अनुभव प्रमाण पत्र को भी स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. अभ्यर्थी कुमारी पंकज का अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं होने के कारण उन्हे अयोग्य ठहराया गया।
4. अभ्यर्थी मंडल सविता कुमारी की ओर से समर्पित अनुभव अवधि तीन वर्ष से 22 दिन कम होने के कारण वे विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण नहीं कर पाई।
5. अभ्यर्थी शशिप्रभा कुमारी के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं समर्पित करने की वजह से उनकी दावेदारी विचारणीय नहीं पाई गई।

प्राप्त तथ्य के आलोक में मेधा सूची निम्न प्रकार है।

S. N.	Name of Applicants with Address	Date of Birth/ Age As on 31.03.17	Category Certificate	Matriculation		Intermediate		Graduation (B.Com)		Computer	Experience			Merit List	Selection list
				% of Marks Obtained	Counselling Marks Obtained	% of Marks Obtained	Counselling Marks Obtained	% of Marks Obtained	Counselling Marks Obtained		Duration	Counselling Marks Obtained	Total Counseling Marks obtained		
1.	Pallavi D/o Uma Shankar Rai Pandeya House. L/15, Nand Bihar Colony Mithanpura, Muzaffarpur	16.10.1991 25Y5M19D	UR	59.40%	10	56.55%	15	60.13%	35	Yes with Tally	01.04.2012 to 31.12.2016/ 4 Year 9 Month	30	90	01	01 UR (F)
2.	Lucy Kumari D/o Satish Mukhiya Bheluchak, Donar Po- Kabirchak, Ditt- Darbhanga	08.08.1994 22Y7M23D	EBC	48.00%	10	60.00%	20	57.93%	30	Yes with Tally	04.02.2013 to 11.12.2016/ 3 Year 10 Month	30	90	02	01 EBC (F)

**Note-** (1) यह भी निर्णय लिया गया कि इस सूची को जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए ताकि संबंधित अभ्यर्थी दिनांक 23.03.18 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें; समयावधि पश्चात किसी भी तरह की आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (2) सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी खगड़िया से अनुमोदन प्राप्त पश्चात पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, खगड़िया स्तर से निर्गत किया जाए।

*Dr. S. K. Sinha*  
2.2.18  
डॉ० ज्योत्सना कुमारी सिन्हा  
चि० पदा०, सदर अस्पताल, खगड़िया

*Dr. Devendra Paswan*  
डॉ० देवन्दन पासवान  
जिला प्रतिरक्षण पदा०, खगड़िया

*Dr. S. K. Sinha*  
5.2.18  
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी  
खगड़िया

*Dr. S. K. Sinha*  
स्थापना उपसमाहर्ता  
खगड़िया  
*Dr. S. K. Sinha*  
S.H.E

Prepared by  
*Dr. S. K. Sinha*  
S.D.A (H.S.)

*Dr. S. K. Sinha*  
2/18  
सिविल सर्जन  
खगड़िया

*Dr. S. K. Sinha*  
5/2/18  
अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत  
निवारण पदाधिकारी खगड़िया